प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

विषयः– द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने प?त्र संख्याः SCERT/शि0शि0 सेवापूर्ण/6447/दो–I(06)/2021–22, दिनांक 08.02.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि शासनादेश संख्याः 173/XXIV–A/2020–21/02/2018T.C. दिनांक 24 जनवरी, 2022 में कतिपय संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में है।

2– अतः डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 173/XXIV–A/2020–21/02/2018T.C. दिनांक 24 जनवरी, 2022 के बिन्दु 2–(2) (घ) को अतिक्रमित करते हुए, निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

शासनादेश दि0 24.01.2022 में अंकित बिन्दु संख्या	शासनादेश दिनांक 24.01.2022 में उल्लिखित नियम	संशोधित नियम
2–2(घ)	द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित सीटों के प्रति 50 प्रतिशत् विज्ञान वर्ग तथा 50 प्रतिशत् विज्ञानेत्तर वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। बी0टेक, बी0फार्मा, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 स्नातक उपाधिधारक इण्टर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत माने जायेंगें तथा कृषि वर्ग के अभ्यर्थी भी विज्ञान वर्ग में माने जाएंगे। इन अभ्यर्थियों का निर्धारण विज्ञान वर्ग के ''अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक'' उपवर्ग में किया जायेगा। बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 स्नातक उपाधिधारक अभ्यर्थी के इण्टर में मानविकी वर्ग से उत्तीर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थी विज्ञानेत्तर वर्ग में माने जायेंगें तथा वाणिज्य वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी भी विज्ञानेत्तर वर्ग में माने जाएंगे। इन अभ्यर्थियों का निर्धारण विज्ञानेत्तर वर्ग के अन्तर्गत	द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित सीटों के प्रति 50 प्रतिशत् विज्ञान वर्ग तथा 50 प्रतिशत् विज्ञानेत्तर वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। बी0टेक, बी0फार्मा, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 स्नातक उपाधिधारक, इण्टर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा कृषि वर्ग के अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत माने जायेंगें। बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 स्नातक उपाधिधारक अभ्यर्थी के इण्टर में मानविकी वर्ग से उत्तीर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थी तथा वाणिज्य वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञानेत्तर वर्ग में माने जायेंगें।

Generated from eOffice by BHAGWAN SINGH NEGI, SO-BSN, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 25/03/2022 11:40 AM

	'अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक उपवर्ग' में किया जायेगा।	

उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–173 / XXIV–A / 2020–21 / 02 / 2018T.C. दिनांक 24 जनवरी, 2022 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी। उपरोक्तानुसार शासनादेश का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 25-03-2022 11:07:18
(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. - सभापति(उ0वि0शि0प0) / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. - निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. - निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
5. - सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Pradeep Joshi
Date: 25-03-2022 11:31:59
(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by BHAGWAN SINGH NEGI, SO-BSN, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 25/03/2022 11:38 AM